राजस्थान सरकार

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 159 / 2020

वादीः— हरिकिशन पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति माली (टाक)निवासी बालरवा,

तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीः— श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम

उपस्थित —

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।
प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

—::निर्णय::—

दिनांकः—11.3.2020

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि— वादी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 61 / 2 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 / 2 रकबा 8 बीघा ग्राम बालरवा तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई है। जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा है। उक्त भूमि वादी द्वारा खरीद की हुई है। उक्त भूमि खरीद के वक्त वादी का नाबालिक था। वादी के नाम बेचान नामे में भूलवश हरदयाल पुत्र रामचन्द्र दर्ज कर दिया तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हरदयाल उर्फ हापुराम पि. रामचन्द्र दर्ज है। जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड बैंक खाता डायरी, मूल निवास इत्यादि हरिकिशन पुत्र रामचन्द्र के नाम से बने हुए हैं उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर वादी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से वादी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार तिंवरी को दिनांक [illegible] को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु बताया गया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से आदेश लाने पर ही नाम शुद्ध दर्ज होगा इसलिए वादी ने मजबूरन यह वाद

बाबत् खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 61/2 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 8 बीघा ग्राम बालरवा तहसील तिंवरी में वादी का नाम हरदयाल उर्फ हापुराम पि. रामचन्द्र के स्थान पर हरिकिशन पुत्र रामचन्द्र के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने की डिक्री सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में सही नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

वादी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस भेजा गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में हरदयाल उर्फ हापुराम दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास, एसबीआई बैंक डायरी इत्यादि में नाम हरिकिशन दर्ज है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया।

अतः वादी का वाद पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वाद पत्र को बल मिलता है, वादी के वाद पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 61/2 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 8 बीघा ग्राम बालरवा तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हरदयाल उर्फ हापुराम पि. रामचन्द्र के स्थान पर हरिकिशन पि. रामचन्द्र खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है, पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner